

राजस्थान सरकार

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर

क्रमांक: एफ-13(11-ए)प्राशिनि/ई-1/सी-1/5999-6025 दिनांक: 28-5-10

प्रधानाचार्य,

राजकीय पोलिटेक्निक महाविद्यालय,

राजकीय महिला पोलिटेक्निक महाविद्यालय,

.....

विषय:- परीवीक्षाकाल के दौरान आने वाले ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन अवकाश के उपभोग के संबध में।

महोदय,

विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान सेवा नियम-1951 के नियम 92 के प्रावधानानुसार परीवीक्षाकाल शिक्षकों को ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अवकाश का लाभ देय है, परन्तु वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1(2)एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 13.3.2006 द्वारा जारी निर्देशानुसार उक्त अवकाशों में शिक्षकों को राज्य कार्य हेतु रोके जाने पर नियम 92 (ख) के प्रावधान का लाभ देय नहीं होगा।

भवदीय,

निदेशक, प्राविधिक शिक्षा